भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 885
उत्तर देने की तारीख : 24.07.2025

एमएसएमई का विस्तार

885 श्री राजेश रंजन:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने देश के पूर्वी भागों, विशेषकर बिहार के सीमांचल क्षेत्र जैसे पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में लघु और मध्यम उद्यमों के विस्तार और स्थानीय युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अब तक कोई योजनाएं क्रियान्वित की हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इस क्षेत्र को एमएसएमई क्लस्टर के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या मंत्रालय के पास इस क्षेत्र में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी), औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम या आसान ऋण सुविधा जैसी योजनाओं को क्रियान्वित करने की कोई विशिष्ट योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी पांच वर्षों के लिए क्षेत्र-वार किए जाने वाले व्यय, पंजीकृत लाभार्थियों और तैयार की गई कार्यनीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क), (ग) और (घ) : केंद्र सरकार बिहार राज्य सहित देश भर में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के जरिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। ये स्कीमें देश के सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम आदि शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र की तथा मांग आधारित स्कीमें है और निधियों का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है। स्कीम-वार संक्षिप्त ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) : सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई – सीडीपी) एक मांग आधारित स्कीम है तथा राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों से उनके राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में मौजूदा क्लस्टरों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। एमएसई – सीडीपी स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय स्तर पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

******

अनुबंध

'एमएसएमई के विस्तार' पर दिनांक 24.07.2025 को उत्तर देने के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 885 के भाग (क), (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

स्कीम-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के जरिए, गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके घर तक स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

पिछले 5 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	जिला	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए में)	अनुमानित रोजगार सृजन
1	कटिहार	484	1,334.40	3,872
2	किशनगंज	369	900.94	2,952
3	पूर्णिया	607	1,546.72	4,856
4	बिहार	21,000	61,721.78	168,000

ख. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम

उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की एक सतत स्कीम है जिसे नवम्बर 2019 में आगे बढ़ाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अ.जा./अ.ज.जा की महिलाओं, दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिक तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं (पुरुषों और महिलाओं) को प्रोत्साहित करना है ताकि वे स्व-रोजगार अथवा उद्यमिता को करियर विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में चुन सकें। इसका मूलभूत उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण करना तथा देश में उद्यमिता संस्कृति को आत्मसात कराना है।

बिहार में अब तक पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में ईएसडीपी स्कीम में हुई प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या (पूर्णिया जिले में)	लाभार्थियों की संख्या (पूर्णिया जिले में)	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या (किशनगंज जिले में)	लाभार्थियों की संख्या (किशनगंज जिले में)	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या (कटिहार जिले में)	लाभार्थियों की संख्या (कटिहार जिले में)
1.	2021-22	1	57	1	60	0	0
2.	2022-23	8	292	0	0	0	0
3.	2023-24	5	240	3	170	1	27
4.	2024-25	8	306	2	79	2	84
कुल		**22**	**895**	**6**	**309**	**3**	**111**

बिहार में ईएसडीपी स्कीम -

क्रम.सं.	वित्त वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	व्यय (रुपए में)
1.	2021-22	49	3929	900145
2.	2022-23	132	6079	8028274
3.	2023-24	232	12265	11036018
4.	2024-25	288	13454	14355086
कुल		**701**	**35727**	**34319523**

ग. <u>क्रेडिट गारंटी स्कीम</u>

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीमः- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने संयुक्त रूप से सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा बिना किसी कोलेटरल सिक्यूरिटी अथवा तृतीय पक्षकार गारंटी के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए जाने वाले ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटियां प्रदान करने हेतु वर्ष 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) की संस्थापना की थी। सीजीटीएमएसई एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन करता है।

बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सीजीएस के अंतर्गत अनुमोदित गारंटियों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

सीजीएस – अनुमोदित गारंटी – बिहार		
वर्ष 2000 में हुई शुरुआत से लेकर दिनांक 30.06.2025 तक संचित		
	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	**अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)**
कटिहार	14,547	763
किशनगंज	8,228	335
पूर्णिया	20,532	1,420
बिहार	**6,66,919**	**42,105**